न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या–9/2018 जिला सीकर

1. जवाहरसिंह पुत्र श्री मानाराम, आयु 60 वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्रम दादिया, तहसील व जिला सीकर (राजस्थान)
2. गीजराज पुत्र श्री मानाराम, आयु 55 वर्ष, जाति जाट, निवासीग्रम दादिया, तहसील व जिला सीकर (राजस्थान)
3. श्रीमती गीता देवी पत्नि जवाहर सिंह, आयु 55 वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्रम दादिया, तहसील व जिला सीकर (राजस्थान)
4. भागीरथ पुत्र श्री मानाराम, आयु 70 वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्रम दादिया तहसील व जिला सीकर (राजस्थान)
5. मदन सिंह पुत्र श्री मानाराम, आयु 45 वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्रम दादिया, तहसील व जिला सीकर (राजस्थान)

अपीलान्ट

बनाम

1. उप खण्ड अधिकारी सीकर (राजस्थान)
2. तहसीलदार सीकर (राजस्थान)
3. ग्रम पंचायत, ग्रम दादिया जरिये सरपंच ग्रम दादिया तहसील व जिला सीकर (राजस्थान)

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी सीकर दिनांक 28.8.2017

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री बी.एस.राठौड
2. राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक – 13.3.2019

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी सीकर के निर्णय दिनांक 28.8.2017 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम दादिया , तहसील व जिला सीकर स्थित आराजी में से प्रस्तावित रकबा रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने बाबत तहसीलदार सीकर के पत्र क्रमांकः भू.अ./2016/3629 दिनांक 30.12.2016 द्वारा अभिशंषा किये जाने पर उप खण्ड अधिकारी सीकर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.8.2017 राज्य सरकार के निर्देशानुसार व संयुक्त शासन सचिव , राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांकः प(2)राज–6/2003/पार्ट दिनाक 10.8.2016 की पालना में तहसीलदार सीकर के प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस के अनुसार ग्रम दादिया ग्रम पंचायत दादिया पटवार मण्डल दादिया के खसरा नम्बर 660 रकबा 1.70 हैक्टेयर, में से 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1119/629 रकबा 0.8450 में से 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1120/629, 1121/631 रकबा 0.0450 हैक्टेयर में से 0.010 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1122/631 रकबा 0.8835 में से 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1123/631 रकबा 0.1365 हैक्टेयर में से 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1124/625 रकबा 0.4086 में से 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1125/625 रकबा 0.1124 हैक्टेयर में से 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1126/625 रकबा 0.1124 में से 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1127/625 रकबा 0.1124 हैक्टेयर में से 0.01 हैक्टेयर , खसरा नम्बर 1128/625 रकबा 0.1124 हैक्टेयर हैक्टेयर में से 0.01 हैक्टेयर खसरा नं.1129/626 रकबा 0.5518 हैक्टेयर में से 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1130/624 रकबा 0.3821 में से 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1131/624 रकबा 0.8879 में से 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 622 रकबा 2.00 हैक्टेयर में से 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 623 रकबा 1.34 हैक्टेयर में से 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 606 रकबा 4.15 हैक्टेयर में से 0.18 हैक्टेयर का सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग में लेने हेतु राजस्व रिकार्ड में रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के पारित किये गये तथा तहसीलदार सीकर को निर्णय व संलग्न् नक्शा ट्रेस की प्रति भेजकर आदेश दिये गये कि उक्त खसरा नम्बर की कृषि भूमियों बाबत राजस्व अभिलेख में रास्ते का पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुये रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकीन रास्ता दर्ज किये जाने एवं नक्शे में उक्तानुसार तरमीम किये एवं गैर मुमकीन रास्ते की भूमि संबंधित खातेदारान के खाते में ही रखे जाने एवं तहसीलदार सीकर द्वारा प्रस्तावित रिपार्ट व नक्शा ट्रेस इसी निर्णय का भाग रहेगा ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उप खण्ड अधिकारी सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 28.8.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 15.2.2018 को प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी सीकर दिनांक 28.8.2017 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ताओं ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 1120/629, 1122/631, 1129/625, 1130/624, 1131/624, 1119/629 के रिकार्डेड एवं कब्जाकाश्त खातेदारों को नोटिस दिये बिना ही राजनैतिक प्रभाव में आकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गैर मुमकीन रास्ता कायम किये जाने से पूर्व से ही विवादित आराजीयात में आने जाने हेतु रास्ता निर्मित था जिसका उपयोग सभी काश्तकारों द्वारा किया जा रहा है । किसी भी खातेदार/काश्तकार द्वारा अपनी कृषि भूमि में से रास्ता नहीं होने बाबत कोई प्रार्थना पत्र अथवा आपत्ति दर्ज नहीं करवाई थी । ऐसी स्थिति मे विवादित भूमि में से रास्ता उपलब्ध नहीं होने का उज्र व आपत्ति करने का कोई अधिकार कानूनी रूप से नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने सार्वजनिक उद्देश्य के तहत रास्ता कायम किये जाने का आदेश पारित किया हैं जबकि निर्णय में सार्वजनिक फायदों बाबत कोई उल्लेख नहीं किया है । अपीलार्थीगण की भूमि में से बिना उनकी सहमति के व जानकारी तथा वास्तविक समस्याओं को नजरन्दाज करते हुये खातेदार धने सिंह पुत्र कालूराम व अन्य को उसकी आराजी को उपयोग में लिये जाने हेतु वास्तविकता के विरूद्ध जाकर रास्ता कायम करने का आदेश पारित किया है, जो विधिविरूद्ध होने से निस्तनीय है । उनका कहना था कि विवादित भूमि को उपयोग एवं उपभोग में लिये जाने बाबत पूर्व से ही कच्चा रास्ता बना हुआ था इसके बावजूद नया रास्ता कायम किया जाना उचित एवं न्यायोचित नहीं है । अपीलार्थीगण के हिस्से तथा काबिजशुदा भूमि में से रास्ता अन्य काश्तकारों के लिये निकाले जाने बाबत ग्रम पंचायत दादिया द्वारा मुआवजा दिये जाने के संबंध में कोई कानूनी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई । उनका कहना था कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.8.2017 में रास्ते की लम्बाई–चौडाई एवं रास्ते में आने वाले खातेदारों एवं उनके खसरा नम्बरान का विस्तृत विवेचन नहीं किया गया । प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का समुचित अवसर दिया जाना न्यायिक रूप से आवश्यक था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा नहीं कर अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्रम दादिया में मौके पर प्रचलित रास्ता होने , जो कृषि भूमि में आवागमन के उपयोग में आने , खसरा नम्बरान की खातेदारी भूमियां संयुक्त खातेदारी में दर्ज कृषि भूमियॅा होने, जिनमें से अधिकांश खसरा नम्बरान विभिन्न बैंकों के रहन दर्ज प्रस्तावित रास्ता मौके पर चालू स्थिति में होने एवं मौके पर उपस्थिति मौतविरान खातेदारान द्वारा उक्त प्रचलित रास्ते का कटान करवाना चाहने का अंकन फर्द मौका निरीक्षण रिपोर्ट में अंकित किये जाने एवं तहसीलदार सीकर ने प्रस्तावति रकबा रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने की अभिशंषा मय नक्शा ट्रेस उप खण्ड अधिकारी सीकर को भिजवाने पर उप खण्ड अधिकारी सीकर द्वारा राज्य सरकार के निर्देशानुसार एवं राजस्व विभाग के परिपत्र तथा जिला कलक्टर सीकर के पत्रादि की पालना में तसीलदार श्रीमाधोपुर की अभिशंषा के अनुसार गैर मुमकीन रास्ता कायम करने अपीलाधीन आदेश पारित किये हैं । उनका कहना था कि रास्ता सार्वजनिक उपयोग में लेने हेतु जन हितार्थ कायम किया है । अतः अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधिसमयक है , जिसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई विधिक कारण नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में ग्रम दादिया की आराजी खसरा नम्बर 1120/629, 1122/631, 1129/625, 1130/624, 1131/624, 1119/629 के अपीलान्ट्स खातेदार है । अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सीकर ने अपीलान्ट्स की उक्त खसरा नम्बरान की भूमि में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग में लेने हेतु रास्ता कायम करने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.8.2017 पारित किया है ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि ग्रम दादिया की आराजी खसरा नम्बर 1120/629, 1122/631, 1129/625, 1130/624, 1131/624, 1119/629 के अपीलान्ट्स खातेदार होने से हितबद्ध एवं प्रभावित व्यक्ति है, जिसे सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में न्यायिक रूप से आवश्यक है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स को बिना नोटिस दिये तथा सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलान्ट्स की खातेदारी भूमि में से गैर मुमकीन रास्ता कायम करने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.8.2017 पारित किया है । विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी हितबद्ध एवं प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना उसके अधिकारों के विपरीत पारित आदेश को न्यायिक आदेश नहीं कहा जा सकता । ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी सीकर दिनांक 28.8.2017 प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ एवं विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अतः

प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में प्रभावित एवं हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाना आवश्यक है तथा प्रकरण पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु उप खण्ड अधिकारी सीकर को प्रतिपेषित किये जाने का मौहताज है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी सीकर दिनाक 28.8.2017 अपीलान्ट्स की खातेदारी भूमि ग्रम दादिया की आराजी खसरा नम्बर 1120/629, 1122/631, 1129/625, 1130/624, 1131/624, 1119/629 की हद तक निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उप खण्ड अधिकारी सीकर को पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिपेषित किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)

अति. सम्भागीय आयुक्त

जयपुर